(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2013 /निगरानी

R 3013-II/13

5/8/13

शालिगराम पुत्र श्री सीताराम, उम्र 62वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी ग्राम बिल्हारी तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

1. रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री रामदास शर्मा, निवासी–ग्राम बिल्हारी तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)
2. राजस्व निरीक्षक मौजा ग्राम तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

----अनावेदकगण

S. L. Dhakad AA 5/8/13

<u>निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2013 पारित न्यायालय राजस्व निरीक्षक मौजा बिल्हारी तहसील व जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक–126/अ–12/2013/रा0नि0</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1– यहकि, ग्राम बिल्हारी का भूमि सर्वे क्रमांक–183 रकबा 2.150 हैक्टेयर स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का हैं।

I/E/SUMAN/Legal/771

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3013–दो/2013 जिला–दतिया

शालिगराम विरूद्ध रामकिशोर शर्मा व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री एस.एल. धाकड़ अभिभाषक एवं अनावेदक क्र.1 की ओर से श्री अशोक भार्गव अभिभाषक व अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मौजा बिल्हारी तहसील व जिला–दतिया के प्र. क्र. 126/अ–12/2013/रा.नि. में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 31/5/19 सदस्य	